(d) Government do not consider this to be necessary.

Indigenous Wheat at Ration Shops

1342. Shri D. C. Sharma: Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is no indigenous wheat at the ration shops in Delhi for the last two months; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon): (a) and (b). No, Sir. The issue of indigenous wheat has been stopped only with effect from 19-10-1966 as the stock of Punjab wheat went down very much in Delhi towards the beginning of 2nd week of October, 1966.

विधि मंत्रालय में चौथी श्रेणी के कर्मचारी

1343. श्री विश्राम प्रसाद : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उनके मंत्रालय तथा उससे सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या इन कर्मचारियों के सेवा अभिलेख (सर्विस रिकार्ड) हिन्दी में रखे जाते हैं ;

(ग) 1965 में इन कर्मचारियो के बारे में जारी किये गये आदेशों, परिपत्रों और नोटिसों की संख्या क्या थी ; तथा इनमें से हिन्दी में जारी किये गये आदेशों इत्यादि की संख्या कितनी है ; और

(घ) 1965 में इन कर्मचारियों से हिन्दी में प्राप्त हुए आवेदन पत्रों तथा याचिकाओं की संख्या क्या है, आवेदन पत्रों पर लिये गये कितने निर्णय हिन्दी में सूचित किए गए तथा शेष निर्णय हिन्दी में सूचित न करने के क्या कारण थे ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) 552 ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इस मंत्रालय के विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग में 254 आदेश परिपत्र और सूचनाएं निकाली गई थीं । इनमें से 67 हिन्दी में निकाली गई थीं, जहां तक कि कम्पनी कार्य विभाग का सम्बन्ध है, इस बारे में जानकारी संगृहीत की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग में 114 आवेदन/अर्जियां हिन्दी में प्राप्त हुई थीं । इनमें से 51 आवेदनों/अर्जियों पर विनिश्चय हिन्दी में संसूचित किए गए थे । शेष आवेदनों/अर्जियों पर विनिश्चय हिन्दी में या तो इसलिए संसूचित नहीं किए गए थे कि उत्तर भेजे जाने की आवश्यकता नहीं थी, या इसलिए कि उनका अविलम्ब संसूचित किया जाना आवश्यक था और उनका हिन्दी में अनुवाद किए जाने से विलम्ब हो जाता । कम्पनी कार्य विभाग की बाबत इस प्रकार की जानकारी संगृहीत की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

हिन्दी पारिभाषिक शब्द संग्रह

1344. श्री विश्राम प्रसाद : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय का हिन्दी विभाग हिन्दी में अनुवाद करने में